

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

मुन्नीराम बागड़िया
आर० ए० एस०

निगरानी संख्या :- 15/2015

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू

-निगरानीकार

-बनाम-

1. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, ग्राम पंचायत पचेरी कलां, पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत पचेरी कलां, पंचायत समिति बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज० अधिनियम 1994
विरुद्ध जारी करने पट्टा मिसल संख्या 20, दिनांकित 5.9.2001 द्वारा
ग्राम पंचायत पचेरी कलां

1. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट - निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट - गैर निगरानीकार नंबर 1 की ओर से

-निर्णय-

दिनांक :- 06.07.2018

उक्त उनवानी निगरानी विरुद्ध जारी करने पट्टा संख्या 20 दिनांकित 05.09.2001 द्वारा ग्राम पंचायत पचेरी कलां के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि :- ग्राम पंचायत पचेरीकला निगरानीकार नंबर 2 का आदेश विधि विरुद्ध गलत होन के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 20 मिसल दिनांकित 5.9.2001 गैर निगरानीकार नंबर 1 को दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जिस जगह का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 को दिया गया है, उक्त भूमि का पट्टा पहले से ही श्रीमती तोफ कंवर पत्नी आशुसिंह निवासी पचेरी कलां, पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू को वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.9.1981 को जारी किया हुआ है। इस प्रकार पट्टाशुदा भूमि पर पुनः गैर

12/

निगरानीकार नंबर 1 को पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार का कथन है कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक पूर्व में जारी पट्टे को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसी भूमि का पट्टा पुनः जारी नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने उक्त कानूनी बिन्दू पर गौर न कर पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की है। गैर निगरानीकार नंबर 1 को उक्त पट्टेशुदा भूमि पर पुनः अपने नाम से पट्टा बनाने का कोई अधिकार नहीं था। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने उक्त तथ्यों को छुपाकर गैर निगरानीकार नंबर 2 से विधि विरुद्ध गलत पट्टा जारी करवा लिये जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने उक्त पट्टा अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर जारी किये हैं, ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने पट्टा बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.2001 को पेश किया, जब कि गैर निगरानीकार नंबर 2 ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण दिनांक 20.9.2001 को बनाई गई है। और आक्षेप भी इसी दिनांक को मांगे गये हैं। गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 को लाभ पहुंचाने की नियत से निगरानी समिति का गठन न कर सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से की गई है। राज0 पंचायत राज अधिनियम में निगरानी समिति गठन कर विधिक प्रकिया अपनाने का प्रावधान है। निगरानीकार की जानकारी में लाये बिना ही सम्पूर्ण कार्यवाही गैर निगरानीकार नंबर 2 व ग्राम सेवक ने मिलकर मनमाने तरीके से कर पट्टा जारी किया है जो काबिले खारीज होने योग्य है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त पट्टा को गलत जारी होने की शिकायत पेश होने पर उनके द्वारा पट्टा की जांच करवाई गई जिस पर जांच में पाया कि श्रीमती तौफ कंवर पत्नी श्री आशुसिंह निवासी पचेरीकलां को वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.1981 में जारी किया था। उक्त पट्टाशुदा भूमि पर ही पुनः पट्टा जारी करने के लिए सरपंच के साथ-साथ सचिव को भी दोषी पाया गया, जिस पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई जिसकी जानकारी होने पर निगरानी अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पचेरी कलां द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.09.2001 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अ/र

दौराने बहस वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि - ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 20 मिसल दिनांकित 05.9.2001 गैर निगरानीकार नंबर 1 को दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। जिस जगह का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 को दिया गया है, उक्त भूमि का पट्टा पहले से ही श्रीमती तोफ कंवर पत्नी आशुसिंह निवासी पचेरी कलां, पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू को वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.9.1981 को जारी किया हुआ है। इस प्रकार पट्टा शुदा भूमि पर पुनः गैर निगरानीकार नंबर 1 को पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जब तक पूर्व में जारी पट्टे को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसी भूमि का पट्टा पुनः जारी नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने उक्त कानूनी बिन्दू पर गौर न कर पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.09.2001 खारिज किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 1 ने कथन किया कि हस्तगत निगरानी 15 वर्ष पश्चात पेश की गई है जो मियाद बाहर है। जहां पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिए- युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है। हस्तगत निगरानी 15 साल पश्चात पेश हुई है जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 1999 (3) राज0 पेज 1390, 2012 (2) डीएनजे राज0 602, 2015 (4) डीएनजे राज पेज 1853 की नजीरें प्रस्तुत की तथा साथ में ग्राम पंचायत पचेरी कला द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की और कथन किया कि-ग्राम पंचायत पचेरीकला के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की गई जिसमें प्रमाणित किया गया है कि मुकेश कुमार पुत्र सीताराम शर्मा निवासी अलीपुर हाल आबाद पचेरीकला जाति ब्राह्मण इनका पुराना मकान मेरी जानकारी से इनका कब्जासुदा है आज भी कब्जा इनका है, ग्राम पंचायत का इनको पहले पट्टा जारी किया हुआ है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना का पत्रांक 2537 दिनांक 23.5.16 द्वारा अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सूरजगढ को भेजी गई है अंकित किया गया है कि दिनांक 20.5.2016 को उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि तोफकंवर व अमीलाल की भूमि के बीच में चार दुकाने आज भी मौजूद है जिसमें एक पर सांवरमल पुत्र घडसीराम दूसरा मुकेश पुत्र सीताराम का पट्टा बना हुआ है तथा

प्रति

बीच में दो और व्यक्तियों की दुकाने बनी हुई हैं। तोफ कंवर एवं अमीलाल का पट्टा इन चारों दुकानों से अलग है। अमीलाल के पट्टे के दक्षिण के खसरा नंबर 106 तोफकंवर लिखा हुआ है जबकि अमीलाल के दक्षिण के तोफ कंवर के पट्टे से पहले चार दुकाने बनी हुई हैं जो खसरा नंबर 106 में स्थित हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तोफकंवर की पट्टेसुदा भूमि और गैर निगरानीकार के पट्टेसुदा भूमि के मध्य 4 दुकाने ओर हैं दोनों भूमियां अलग-अलग है। निगरानीकार विकास अधिकारी को हस्तगत निगरानी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पंचायत समिति बुहाना ग्राम पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए स्वयं अपीलीय न्यायालय है, अगर तोफकंवर के पट्टेसुदा भूमि पर नया पट्टा जारी किया गया है तो तोफ कंवर को आपत्ति होनी चाहिए थी और उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। तोफ कंवर को पक्षकार नहीं बनाया गया। ना ही निगरानी के साथ उक्त तोफ कंवर को जारी किया गया पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है और ना ही किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच की सत्यप्रति प्रस्तुत हुई है। गैर निगरानीकार संख्या-1 को जारी पट्टा उसकी पुरानी कब्जेसुदा भूमि पर जारी किया गया है जिसपर वह आज भी काबिज है। अतः निगरानी विरुद्ध कानून होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। इस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन कि - ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 20 मिसल दिनांकित 05.9.2001 गैर निगरानीकार नंबर 1 को दिया गया है उक्त भूमि का पट्टा पहले से ही श्रीमती तोफ कंवर पत्नी आशुसिंह निवासी पचेरी कलां, पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू को वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.9.1981 को जारी किया हुआ है। इस प्रकार पट्टा शुदा भूमि पर पुनः गैर निगरानीकार नंबर 1 को पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है।


निगरानीकार द्वारा निगरानी में दिये गये तर्कों पर विश्वास किया जाये तो वादग्रस्त भूमि का पट्टा वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.09.1981 को श्रीमती तोफ कंवर पत्नी आशुसिंह निवासी पचेरी कलां के नाम से जारी हुआ था। यानि वादग्रस्त भूमि पर जरिये पट्टा/विक्रय विलेख संख्या 25 से वर्ष 1981 से ही श्रीमती तोफ कंवर वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि का मालिकाना हक वर्ष 1981 में ही ग्राम पंचायत पचेरीकला द्वारा श्रीमती तोफ कंवर को दिया जा चुका है। अगर श्रीमती तोफ कंवर की पट्टेसुदा भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति को पट्टा दिया गया है तो उसकी सबसे पहले आपत्ति तोफ कंवर को होती और तोफ कंवर द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे/ग्राम पंचायत पचेरी के उक्त आदेश के विरुद्ध पंचायत समिति बुहाना की स्थापना समिति के समक्ष अपील




प्रस्तुत कर पट्टा निरस्त करवाने की कार्यवाही करती । पंचायत समिति बुहाना की स्थापना समिति ग्राम पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार रखती है, ग्राम पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध पंचायत समिति बुहाना स्वयं अपीलीय न्यायालय है, जो तोफकंवर द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जांच कर अगर पट्टा गलत जारी हुआ है, तो निरस्त का आदेश कर सकती थी। जब वादग्रस्त भूमि जरिये पट्टा संख्या-25 दिनांक 19.09.1981 को श्रीमती तोफ कंवर को स्थानान्तरित हो चुकी है तो ग्राम पंचायत पचेरीकला को उक्त भूमि पर अब कोई अधिकार नहीं रहा। पंचायत समिति बुहाना ने किस आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की समझ से परे है। पंचायत समिति बुहाना ने जिस तोफ कंवर के पुराने पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.9.1981 की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या-1 को पुनः पट्टा जारी होने के आधार बनाकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है तो कम से कम तोफ कंवर को तो निगरानी में पक्षकारा बनाना चाहिए था जिससे यह तो ज्ञात होता कि तोफ कंवर का उक्त संबंध में क्या कहना है। हस्तगत निगरानी में एक तरफ कहा गया है कि तोफ कंवर की पट्टेसुदा भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या-1 मुकेश कुमार शर्मा उक्त पट्टा जारी किया गया है, जब कि विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना के पत्रांक 23.5.2016 द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू को उक्त पट्टों के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें अंकित किया गया है कि तोफ कंवर व अम्मीलाल की भूमि के बीच में चार दुकाने आज भी मौजूद हैं जिसमें एक पर सांवरमल पुत्र घडसीराम दूसरा मुकेश पुत्र सीताराम का पट्टा बना हुआ है तथा बीच में दो और व्यक्तियों की दुकाने बनी हुई हैं । इस प्रकार इस रिपोर्ट में रेस्पोंडेंट की पट्टेसुदा भूमि तोफ कंवर की पट्टेसुदा भूमि से अलग बताई गई है, जो आपस में विरोधाभासी है। रितुरानी सरपंच ग्राम पंचायत पचेरी कला द्वारा रेस्पोंडेंट नंबर 1 को जारी प्रमाण पत्र में रेस्पोंडेंट को आज भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना एवं ग्राम पंचायत द्वारा इनको पट्टा जारी किया हुआ होना माना है। हस्तगत निगरानी करीब 15 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है जिसका कोई उचित आधार नहीं बताया गया । विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 1999 (3) राज0 पेज 1390, 2012 (2) डीएनजे राज0 602, 2015 (4) डीएनजे राज पेज 1853 को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जो इस प्रकरण में बखूबी लागू होते हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी लगभग 15 वर्ष की देरी से प्रस्तुत होने एवं देरी के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं होने तथा निगरानी कानून डिफेक्टिव होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

पुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।


(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।


(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू